UPME010080072026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय
(उच्चतर न्यायिक सेवा)

<u>प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2142/2026</u>

दीपक उर्फ दीपू पुत्र प्रदीप, निवासी ग्राम खड़खड़ी, थाना–खरखौदा, जिला–मेरठ। हाल निवासी गोंगा डेयरी, जाग्रति विहार, थाना–मेडिकल, जिला–मेरठ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0–29/2026
अं0धारा–125,351(2),352,191(2),
109(1), बी0एन0एस0
थाना–मेडिकल, जनपद–मेरठ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से.....श्री अमित कुमार दीक्षित, विद्वान अधिवक्ता
उ0प्र0राज्य की ओर से..... श्री के0के0चौबे, डी0जी0सी0(क्रिमि0) एवं
श्री अश्वनी गोयल, सहा0डी0जी0सी0(क्रिमि0)

<u>दिनांक–04.06.2026</u>

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू की ओर से मुकदमा अपराध सं0–29/2026, अं0धारा–125,351(2),352,191(2),109(1), बी0एन0एस0, थाना–मेडिकल, जनपद–मेरठ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार का शपथ पत्र दाखिल है, जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि वादी के बेटे दिव्य का अंकित से विवाद हो गया था, जिस कारण दिनांक 14.01.2026 की रात समय 08.00 बजे अंकित अपने अन्य दोस्त दीपू गोगा व 8–10 अज्ञात लड़कों के साथ पिस्टल लेकर वादी मुकदमा के घर आया और जान से मारने व पथराव किया, जिसकी सूचना उसने 112 पर दी।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि :–

- प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है।
- मुख्य अभियुक्त की जमानत स्वीकार हो चुकी है।
- चश्मदीद साक्षियों द्वारा उसकी भूमिका गोली चलाने की नहीं बतायी गयी है।
- कथित घटना में किसी का कोई चोट नहीं आयी है।
- प्रार्थी/अभियुक्त की कोई शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–109 बी0एन0एस0 में पंजीकृत नहीं है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट में गोली चलाने का कोई आरोप नहीं है।
- घटनास्थल से कोई खोखा कारतूस की बरामदगी नहीं हुई है।
- तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर कथित घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की भूमिका व कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंनें प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. निर्णय विधि **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005)8 एस0सी0सी0–21** में यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अथवा युक्ति–युक्त आधार यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने साथ ही साथ आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता, दोषसिद्धि की दशा में दण्डादेश की कठोरता, जमानत प्रदान किए जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति, अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना, साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय एवं जमानत स्वीकार किए जाने की दशा में

न्यायहित समाप्त होने का भय के बिन्दुओं पर विचार किये जाने हेतु दिशा–निर्देशित किया है।

8. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर पर गोली चलाने का आरोप है।

9. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि पांच माह बाद विवेचना में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। कथित घटना की कोई सी0सी0टी0वी0फुटेज नहीं है।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि इस मामले के मुख्य अभियुक्त की जमानत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा स्वीकार की जा चुकी है, जिसकी गोली चलाने की भूमिका दर्शायी गयी थी।

11. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि कथित घटना सी0सी0टी0वी0 कैमरे में कैद हुई है, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त की पहचान की गयी है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर पर पिस्टल से फायर करने व पथराव करने के आरोप हैं, किन्तु कथित घटना में किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र की या कोई अन्य चोट नहीं आयी है।

13. कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट चार दिन पश्चात अंतर्गत धारा–125,352,351(2) बी0एन0एस0 विलम्ब से लिखायी गयी है। बाद में धारा–109(1) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी है।

14. चक्षुदर्शी साक्षीगण उर्मिला देवी व चित्रा मित्तल द्वारा अपने बयानों में गोली चलाने की भूमिका सह–अभियुक्त अंकित की बतायी गयी है। उनके द्वारा अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त को कथित घटना में सम्मिलित होने का कोई कथन नहीं किया है।

15. सह–अभियुक्त अंकित की जमानत विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

17. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई मत प्रकट किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ₹ 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायः–

1. अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा।
2. विवेचक द्वारा तलब किए जाने पर उनके समक्ष उपस्थित रहेगा।
3. अभियुक्त साक्षियों को डराएगा–धमकाएगा नहीं और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेगा।
4. विवेचक की अनुमति के बिना दौरान विवेचना जिले से बाहर नहीं जायेगा।
5. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध पुनः कारित नहीं करेगा।
6. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित की जाए।

दिनांकः 04.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
I.D.No.U.P.-6030

S.Rastogi (P.A.)